साधारणतयाः पूछे जाने वाले प्रश्न

लोक जीवन में भ्रष्टाचार के बारे में बात करना साधारण सी बात है। परन्तु सामान्य व्यक्ति यह महसूस नहीं करता कि वह भी भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपुर्ण भूमिका अदा कर सकता है। एक सतर्क एवं जागरूक नागरिक जो जनहित के मामले में रूची रखता है और भ्रष्टाचार तथा कुप्रशासन के विरूद्ध बोलता है वस्तुतः वह स्वच्छ एवं कार्यकुशल सुप्रशासन की स्थापना में सहायता करता है। व्यक्ति विशेष के शिकायतों के निवारण हेतु सरकार ने कई कदम उठायें है जिन में जनता को सूचना का अधिकार दिलाना भी शामिल है। झारखण्ड राज्य में ऐसे परिवादों एवं शिकायतों के निवारण हेतु लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना की गई है।

चूंकि की कई लोग आज भी इस संस्थान के बारे में नहीं जानते है इस लिए यहां लोकायुक्त झाराखण्ड संस्था के कार्य एवं व्यवहार के बारे में साधारणतः पूछे जाने वाले प्रशनों का उल्लेख किया जा रहा है।

प्र. 1. लोकायुक्त क्या है?

उत्तर– लोकायुक्त राज्यपाल द्वारा नियुक्त वह अधिकारी होता है जो राज्यस्तर पर मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों, सचिवो, विधायको, एवं सभी लोकसेवकों लोकउपक्रमों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों, निगमों एवं उनके पदाधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच करता है। शासन के कार्यकलापों से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के निराकरण एवं लोक सेवकों की मनमानेपन पर अंकुश लगाने के लिए लोकायुक्त एक अत्यंत प्रभावी एवं उपयुक्त संस्था है। लोकायुक्त का उत्तरदायित्व है कि वह राज्य की जनता में जागरूकता पैदा करे कि लोकसेवकों द्वारा भ्रष्टाचार कुप्रशासन और पद के दुरूपयोग से सम्बन्धित आरोपों पर उचित कार्यवाही करे। यदि कोई व्यक्ति किसी लोकसेवक के कुप्रशासन, पद का दुरूपयोग,

भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमित्ता, सरकारी धन के दुरूपयोग आदि के विरूद्ध शिकायत वाद करना चाहता है तो वह राज्य के लोकायुक्त को शिकायत भेज सकता है। लोकायुक्त के माध्यम से शिकायतों के निराकरण की प्रक्रिया, बिना किसी अन्य खर्च के लोकायुक्त कार्यालय उस सम्बन्धित विभाग से सुनिश्चित कराता है। साथ ही सुनवाई के दौरान मामले की प्रगति से सम्बन्धित सभी सूचनाओं को शिकायत कर्त्ता को अवगत कराता है। लोकायुक्त मामलों की जांच के बाद अपनी जांच रिर्पोट सक्षम पदाधिकारी को सौंपता है। प्रशासकीय काम काजों में भ्रष्टाचार प्रशासकीय कार्यों के संपादन में भेदभाव, अन्याय, उत्पीड़न, उपेक्षा, अनुचित विलंब और मनमाने ढंग से की जानेवाली कार्रवाई से पैदा होता है। यदि इस पर नियंत्रण प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाये तो कुप्रशासन को नियंत्रित किया जा सकता है।

प्र.2. क्या झारखण्ड में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई है?

उत्तर– हाँ। झारखण्ड में दिनांक 4.12.2004 से लोकायुक्त कार्यालय कार्यरत है। इस संस्थान की स्थापना झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत की गई है।

प्र.3. वर्तमान लोकायुक्त कौन है?

उत्तर– झारखण्ड राज्य के वर्तमान लोकायुक्त **माननीय न्यायमूर्ति श्री अमरेश्वर सहाय** जी हैं। जिन्होने दिनांक 03.01.2011 को लोकायुक्त झारखण्ड के रूप में पदभार ग्रहण किया है।

प्र.4. परिवाद कौन दाखिल कर सकता है?

उत्तर– कोई व्यक्ति जो झारखण्ड के किसी लोकसेवक की किसी ऐसी कार्यवाही से अन्याय या असम्यक कठिनाई से पीड़ित हुआ हो जिससे कुप्रशासन, असम्यक पक्षपात या भ्रष्टाचार परिलक्षित होता हो तो पीड़ित पक्षकार लोकायुक्त झारखण्ड को लिखित ''शिकायत'' कर सकेगा ।

या

लोक सेवक के आलावा कोई व्यक्ति जो झारखण्ड के किसी लोकसेवक की किसी ऐसी कार्रवाई से अन्याय या असम्यक कठिनाई से पीड़ित हुआ हो जिससे कुप्रशासन, असम्यक पक्षपात या भ्रष्टाचार परिलक्षित होता हो तो पीड़ित पक्षकार ऐसी कार्रवाई के विरूद्ध ''अभिकथन'' लिखित परिवाद में लोकायुक्त झारखण्ड को कर सकेगा ।

प्र.5. ''शिकायत'' किसे कहते हैं?

उत्तर– अधिनियम की धारा 2(घ) के अनुसार ''शिकायत'' से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति का यह दावा कि कुप्रशासन के परिणामस्वरूप उसके साथ अन्याय हुआ है या उसे असम्यक् कठिनाई हुई है।

प्र.6. ''अभिकथन'' किसे कहते हैं?

उत्तर– अधिनियम की धारा 2 (ख) के अनुसार ''अभिकथन'' से किसी लोक–सेवक के संबंध में अभिप्रेत है यह अभिपुष्टि कि–

(i) ऐसे लोक–सेवक ने अपनी ऐसी स्थिति का दुरूपयोग करने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई लाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को असम्यक हानि पहुंचाने या कठिनाई में डालने के लिए किया है;

(ii) ऐसा लोक–सेवक ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में वैयक्तिक हित अथवा अनुचित भ्रष्ट हेतु से प्रेरित था, अथवा

(iii) ऐसा लोक–सेवक ऐसे लोक–सेवक के रूप में अपनी हैसियत में भ्रष्टाचार या सत्यनिष्ठा की कमी का दोषी है।

प्र.7. ''लोकसेवक'' कौन है?

उत्तर– ''लोकसेवक'' के अन्तर्गत अधिनियम में यथा परिभाषित झारखण्ड राज्य के मंत्री, सचिव, तथा अन्य अधिकारी आते हैं। इसके अन्तर्गत

अधिसूचित स्थानीय निकाय, निगम, सरकारी कम्पनी, पंजीकृत सोसाइटी तथा उनके प्रधान या उसके डिप्टी चाहें वह जिस पदनाम से जाना जाय सम्मिलित है।

प्र.8. परिवाद किस प्रकार दाखिल किया जा सकता है?

उत्तर–परिवादी व्यक्तिगत रूप से अथवा निबंधित डाक द्वारा परिवाद दाखिल कर सकता है।

प्र.9. परिवाद दाखिल करने के लिए क्या मूलभूत अपेक्षायें है?

उत्तर– परिवाद लिखित एंव लोकायुक्त झारखण्ड को संबोधित होना चाहिए,

- Δ प्रत्येक परिवाद के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्यों को संलग्न करना चाहिए तथा शिकायत या अभिकथन एवं संबंधित लोकसेवक का स्पष्ट विवेचन होना चाहिए।
- Δ याचिका में परिवादी को इस तथ्य का स्पष्टतः अभिकथन करना चाहिए कि विचारणीय शिकायत के संबंध में कोई वाद या कार्रवाई किसी सक्षम न्यायालय में प्रारंभ की जा चुकि है जो अभी भी लम्बित है या उसका निस्तारण हो चुका है।
- Δ प्रत्येक परिवाद के समर्थन में परिवादी का शपथ पत्र संलग्न होना चाहिए जो शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा अभिप्रमाणित हो ।
- Δ प्रत्येक परिवाद के साथ 4.70 रू0 का स्टाम्प शुल्क देय है। परन्तु विशिष्ट मामलों में लोकायुक्त ऐसे शुल्क से छुट दे सकते हैं।
- Δ परिवादी को अपने परिवाद पत्र के समर्थन में सभी सुसंगत दस्तावेजों को संलग्न करना चाहिए।
- Δ परिवाद के अभिकथन विस्तृत एवं सुस्पष्ट होने चाहिए।

Δ **परिवादी का विवरण**

परिवादी का नाम–

पता–

फोन नं0–

ई–मेल– यदि हो–

Δ **लोकसेवक/विभाग जिसके विरूद्ध परिवाद किया गया है**

लोकसेवक/विभाग का नाम–

पदनाम–

लोकसेवक का वर्तमान पता–

प्र. 10. क्या परिवाद दाखिल करने के लिए कोई परिसीमा अवधि निर्धारित है?

उत्तर– हाँ। ''शिकायत'' याचिका विवादित कृत्य की जानकारी के बारह माह के अन्दर दाखिल होनी चाहिए। जबकि अभिकथन के साथ दाखिल याचिका विवादित कृत्य के पाँच वर्ष के अन्दर दाखिल हो जानी चाहिए।

प्र.11. परिवाद कब विचारणीय नहीं होगा?

उत्तर–यदि परिवाद लोकसेवक की नियुक्ति, उनका सेवा से हटाया जाना, वेतन या सेवा–शर्त्तो इत्यादि से संबंधित हो या अन्यथा विचारण से निषिद्ध है अथवा

Δ यदि परिवादी को किसी अधिकरण या विधि न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के रूप में कोई उपचार प्राप्त था या है

परन्तु इस बात के होते हुए भी कि परिवादी को ऐसा उपचार प्राप्त था या है लोकायुकत अन्वेषण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा व्यक्ति पर्याप्त हेतुक से ऐसे उपचार का आश्रय नहीं ले सकता था या नहीं ले सकता है अथवा

Δ लम्बित मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 के अन्तर्गत कोई निर्देश, आदेश या रिट जारी किया हो ।

प्र.12.क्या लोकायुक्त किसी प्राईवेट व्यक्ति, फर्म, या संस्थान के विरूद्ध परिवाद की सुनवाई कर सकते है?

उत्तर– नहीं। लोकायुक्त संस्थान प्राइवेट विवाद को सुलझाने का फोरम नहीं है।

प्र.13. क्या परिवाद दाखिल करने के लिए वकील करना आवश्यक है।

उत्तर– नहीं। यदि परिवादी परिवाद के तथ्यों एवं कथनों को स्वयं स्पष्ट रूप से जानता है और प्रस्तुत कर सकता है तो उसे अधिवक्ता नियुक्त करने की बाध्यता नहीं है। फिर भी यदि परिवादी चाहे तो वकील की सेवा ले सकता है।

प्र.14 क्या परिवाद दाखिल करते समय या उसके बाद में परिवादी का हाजिर रहना आवश्यक है?

उत्तर– कोई भी व्यक्ति अपना परिवाद डाक द्वारा भी भेज सकता है। परिवाद दाखिल करते समय परिवादी का स्वयं उपस्थित होना आवश्यक नहीं है परन्तु बाद में सुनवाई के दौरान यदि परिवादी की उपस्थिति आवश्यक समझी गई तो उसे बुलाया जा सकता है।

प्र.15. क्या परिवादी का नाम और पहचान सार्वजनिक किया जाता है?

उत्तर– यथोचित मामलों में परिवादी की पहचान तथा उससे संबंधित कोई भी सूचना जो लोकायुक्त द्वारा या उनके अधिनस्थ सटाफ द्वारा प्राप्त की जाती है उसे अन्वेषण के क्रम में गुप्त रखा जाता है और उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है।

प्र. 16. लोकायुक्त कार्यालय का पता तथा उसका फैक्स नं. क्या है?

उत्तर– **लोकायुक्त का कार्यालय**

ओल्ड जेल रोड राँची, पिन–834001

(झारखण्ड)

फोन– कार्यालय– 0651–2563056

फैक्स नं0– 0651–2563075